

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयतों) का नामान्तरण दाखिल-खारिज दिखाने वाला शूद्धिपत्र ।

जिला - धनबाद अनुमण्डल-धनबाद सर्किल / अंचल-गोविन्दपुर हल्का-IV इस्टेट का नाम-झारखण्ड

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	थाना और थाना संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण से सम्बद्ध अभयुक्ति संख्या	नामान्तरण मंजूर करने वाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है बिक्री दान विनिमय उत्तराधिकारी या बंटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पुरा ब्योरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजी किस तारीख को शुद्ध की गई ?	दिनांक
दाखील खरीज केस 617-2014-15	गोविन्दपुर	गाँव	गोविन्दपुर	सौजा- 308/15 थाना नं०- 89 खाता-खेसरा-रकवा	अंचल अधिकारी गोविन्दपुर 2014-15	बिक्री दलील नं० 2679 दिनांक. 02/06/14	पुराना रैयत - विजेन शंकर जमाबंदी संख्या - 2218 & 281 नया रैयत - (1) श्री जग शंकर प्रसाद श्री जगदीश प्रसाद (2) श्री मनीषा देवी श्री श्री प्रियान्विता देवी श्री श्री विद्या देवी श्री श्री विद्या देवी		11/8/14
				प्रस्तावित लगान					

ज्ञापांक सं. ता० 2014-15 सर्किल पदाधिकारी / अंचल अधिकारी गोविन्दपुर
कर्मचारी हल्का सं. को जानकारी और आवश्यक साकि / अंचल गोविन्दपुर



अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर (धनबाद)

दाखिल खरीज मु० संख्या... 617... (IV) 2014-15

आदेश फलक

आवेदन की तिथि 21.8.17
आदेश की तिथि 21.8.17
निर्गत की तिथि 22.8.17

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
2.7.14	<p>आवेदक / आवेदिका / श्री / श्रीमती (1) अप जंगल खात पिता अमदी खात (2) श्रीमती देवी पति त्रिलोक खात पिता/पति..... साकिम इयत खात</p> <p>थाना निशिता जिला-धनबाद ने नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक / आवेदिका मौजा ... मौजा नं०... 89... खाता नं०... 70... प्लोट नं०... 647, 648 रकवा... 4.95... दलील नं०... 3679 दिनांक 02/06/14 के द्वारा श्री / श्रीमती ... से प्राप्त किया। मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जांच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक- 30.7.14 को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	<p>02/06/14</p> <p>11</p>
30.7.14	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति हासिल नहीं किया गया है। संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि रैयती खाते की है। विक्रेता जमाबंदी संख्या 3218 में विक्रेता / पूर्वज के नाम से कायम होकर सरकारा रसीद निर्गत होती है। विक्रेता जमाबंदी रैयत स्वयं/व्यक्ति है तथा अपना नीज अंश बिक्री किया है। आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर शांतिपूर्वक दखलदार है। निबंधन धनबाद/कालकत्ता/निबंधन कार्यालय से किया गया है। अन्दर मुद्रांक की तारीखों के आधार पर जमा कर दलील को बैध कर लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद आम/खस/आदिवासी/भूदान/वनभूमि/बीसी0सी0एल अर्जित भूमि से बाहर है, तथा सी0एन0टी0 की धारा-46(1), (2) से संबंधित नहीं हैं। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल खरीज आवेदन को ... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से दो दिनों में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित। अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p> <p>अध्यक्ष अभिप्रमाणित प्रातनिधि प्रधान सहायक गोविन्दपुर अंचल</p> <p>अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	<p>23</p> <p>4</p>

